

रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि.

श्रीमान श्री. राम हजारा के खता सं 3 पर सार्थक का सही नाम वरिष्ठ  
धुंधला कर रखा है जबकि राम हजारा के खता सं 34, 35 में  
बात वलि सं 10 धुंधला कर रखा है जो कि कश्मल विराट का नाम  
खेले समय बा सं 2 में दर्ज हुआ है। सार्थक का सही नाम  
वरिष्ठ सं 10 धुंधला कर रखा है अतः खता सं 34, 35 में वरिष्ठ का  
वलि क्रिये की सिफारिश की जाती है।

*(Handwritten signature)*

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

श्रीमान श्री

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एका केपि सं 3-42 का कुडगों  
के अनुसार सही रूप धुंधला कर रखा पर वरिष्ठ सं 10  
धुंधला कर रखा है अतः रिपोर्ट में अनुशेष की जा रही है।  
जमावती खता सं 34, 35 वाले ग्राम हजारा में है।

*(Handwritten signature)*  
तहसीलदार (भूअ.नि.)  
सपोटरा, जिला-करोली

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, 3-42 एवं तहसीलदार लजोश तथा प्रभु  
के आधार पर प्रत्येक प्रार्थना लीका कि जा रहा है जो कि  
जाती है। पत्रावली के अन्तर्गत नुमा (होकर) नुमा (ले कर) है।

*(Handwritten signature)*  
पीठासीन अधिकारी (SDM)  
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार  
सपोटरा, जिला-करोली (राज०)

उपखण्ड अधिकारी

**:- आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लेडिया व भू.अ.नि. लेडिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सोहरा / नायब तहसीलदार सोहरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हजारापुर तहसील सोहरा व जिला करौली की जमाबन्दी संवत् 2013-16 में खाता संख्या 34.35 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र.सं० | ग्राम    | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)              | आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|----------|-------------|---|---|
| 01      | हजारापुर | 34.35       | रामाविसाई,<br>पुली पिन्डूया<br>केमर्नीन साठ<br>इह | रामखिलाई, बन्नीमाल<br>पिन्डूया केमर्नीन<br>साठडेह             |

14/4  
 पीठासीन अधिकारी (SDM)  
 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"  
 पीठासीन अधिकारी  
 सपोटस जिला-करौली (राज०)  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहा.कलक्टर, .....  
 दिनांक:- 24/5/17

मांक:- सालेखा 2017/77-79  
 तेलिपि:-

1. तहसीलदार सोहरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री पुली साठडेह/0 पुन्डूया मीन को सूचनार्थ हजारापुर
3. रक्षित पत्रावली।

( 1 / )  
 पीठासीन अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहा.कलक्टर, .....